खबर मन्त्र
रांची, शनिवार, 7 मई, 2016

चीफ जस्टिस की मध्यस्थता से बबन को मिली आठ साल बाद पत्नी

मायके में रह रही लड़की हाइकोर्ट से सीधे ससुराल गयी

● कोर्ट ने लड़का-लड़की को सशरीर उपस्थित होने को दिया था निर्देश

रांची। हाइकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ एक अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की मध्यस्थता व समझाने के बाद पति बबन सरखेल अपनी पत्नी को साथ ले गया। आठ साल से मायके में रह रही महिला को समझाने के बाद हाइकोर्ट से सीधे वह अपने पति के साथ ससुराल चली गयी, जबकि उसके पिता अपने घर चले गये। कोर्ट की भावना को समझते हुए पत्नी ने ससुराल जाने की बात स्वीकार कर ली। खंडपीठ ने झालसा से 5000 रुपये दिलाने की बात कही। इस पर पति बबन सरखेल ने यह कहते हुए पैसा लेने से इनकार कर दिया कि वह पारा शिक्षक है और उसे आठ हजार रुपये मानदेय मिलता है। वह अपनी पत्नी को घर ले जाने में सक्षम है। इस दंपति का एक छह साल का बच्चा भी है।

मामला यह है

धनबाद के बलियापुर थाना के घरबार निवासी बबन सरखेल की शादी 27 अप्रैल 2008 को हुई थी। पढ़ाई को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण नवविवाहिता ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह पढ़ना चाहती है, उसे ससुराल नहीं जाना है। काफी प्रयास के बाद पत्नी मायके से नहीं लौटी, तो पति बबन ने धनबाद के फैमिली कोर्ट में मामला दायर कर पत्नी दिलाने की गुहार लगायी। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला देते हुए महिला को ससुराल जाने का आदेश दिया। महिला ने कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी।

दिव्यांग उम्मीदवार विवेक की नियुक्ति पर सरकार करे विचार

रांची। हाइकोर्ट ने चतुर्थ जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग कोटि में नियुक्ति को लेकर दायर अपील याचिका को सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अपीलकर्ता विवेक कुमार सिंह की सुयोग्य पद पर नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने चतुर्थ जेपीएससी के पदों में से एक पद पर नियुक्ति करने को कहा। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल कोर्ट में उपस्थित थे। वादी विवेक कुमार ने अपील याचिका दायर कर अपनी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का आग्रह किया था।

विधायक आलोक चौरसिया के मामले में सुनवाई 13 को

रांची। हाइकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में डालटेनगंज के विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की। प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिह ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि वादी केएन त्रिपाठी ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया है।

प्रतिवादी ने लिया समय, अगली सुनवाई 17 जून को

रांची। हाइकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से वादी के हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। वादी रोशन लाल चौधरी ने चुनाव याचिका दायर कर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला देवी के निर्वाचन को चुनौती दी है।

अदालत ने सुनवाई का बिंदु तय कर आने का निर्देश दिया

रांची। हाइकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए वादी और प्रतिवादियों को सुनवाई का बिंदु तय कर आने का निर्देश दिया। जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की। उस दिन सुनवाई का बिन्दु तय करने के मुद्दे पर अदालत सुनवाई करेगी। वादी कोचे मुंडा ने चुनाव याचिका दायर की है। उन्होंने प्रतिवादी विधायक पौलुस सुरीन के निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया है।